



2026:AHC: 61509

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5659/2026

सत्येंद्र यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: नवीन कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, राजीव कुमार उपाध्याय

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार यादव के साथ श्री प्रदीप कुमार यादव, मूल वाद के प्रथम सूचनादाता की ओर से श्री राजीव कुमार उपाध्याय के होल्डींग ब्रीफ अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 890 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2(बी)(i), 2(बी)(xi), 3(1) के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध दिखाए गए एकमात्र वाद में जमानत पर है, उपरोक्त के अलावा, आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है। 20.12.2025 से कारागार में है, आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि न्यायालय में प्रकरणों के भारी लंबन के मद्देनजर, विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4- मूल वाद के प्रथम सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5- इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने भी आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

6- आवेदक गैंग चार्ट में उसके खिलाफ दिखाए गए एकमात्र वाद में जमानत पर है, उपरोक्त के अलावा, आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य वाद दर्ज नहीं है। आवेदक 20.12.2025 से कारागार में है।

7- तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने पर और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8- उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- सत्येंद्र यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू होने (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में अन्वय नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च, 2026

आरकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।